



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक : -अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/S-IV(C)/जेई-06

दिनांक : 19/12/2025

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोनामित अवर अभियन्ताओं की 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण होने पर, उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार स्तम्भ-7 में उल्लिखित तिथि को कारपोरेशन की सेवाओं से सेवानिवृत्त होंगे :-

क्र० सं०	अवर अभियन्ता का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	इम्प्लॉईकोड	वर्तमान तैनाती कार्यालय	सेवानिवृत्ति की तिथि (अपरान्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री दिनेश चन्द्र गुरुरानी	श्री केदारदत्त गुरुरानी	15.04.1966.	UP00005296	विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।	30.04.2026
2	श्री बुद्धि बल्लभ भट्ट	स्व० पवित्र मणी भट्ट	02.05.1966	UP00005781	कार्यालय महाप्रबन्धक (विधि), वि०क्रा० वि० ग० सि० ऊ० भवन, देहरादून	31.05.2026
3	श्री विनोद कुमार दुर्गापाल	स्व० आर० सी० दुर्गापाल	15.05.1966.	UA00009532	विद्युत परीक्षण खण्ड, अल्मोड़ा।	31.05.2026
4	श्री अनिल कुमार	स्व० अतर सिंह	16.05.1966.	UA00009354	विद्युत वितरण खण्ड, विकासनगर।	31.05.2026
5	श्री देवेन्द्र प्रसाद	स्व० सूरज मणी	12.06.1966.	UA00009549	विद्युत वितरण खण्ड, रुद्रप्रयाग।	30.06.2026
6	श्री मनोरंजन वर्मा	स्व० रामनाथ वर्मा	15.06.1966.	UP00003145	विद्युत वितरण खण्ड, अल्मोड़ा।	30.06.2026

उपरोक्त आदेश सम्बन्धित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक सेवा में बने रहने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। संगत विनियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें लोकहित में, उक्त तिथि से पूर्व कभी भी सेवानिवृत्त किया जा सकता है तथा किसी कारणवश उपरोक्त सूची में नाम सम्मिलित होने से रह जाने पर भी अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त कर चुके कार्मिक का दायित्व होगा की बिना किसी अग्रततर आदेश/निर्देश की प्रतीक्षा किये, वह नियत तिथि को सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त हो जायें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि, सूचित की जा रही तिथि से पहले पड़ती है तो वास्तविक सही तिथि को सेवानिवृत्त होना स्वयं कार्मिक का विधिक दायित्व होगा।

क्रमशः-2/

यह भी आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त कारपोरेशन सेवक की अधिवर्षता की आयु पर सेवानिवृत्ति की तिथि से पूर्व से ही अनिवार्यतः उनके पेंशन प्रपत्रों की तैयारी के लिए :-

- (क) अर्हकारी सेवा की संगणना, औसत परिलब्धियों का हिसाब और उनके विरुद्ध अनुशासनिक/न्यायिक/प्रशासनाधिकरण की जाँच, जो भी हो, पूरी करने की कार्यवाही इत्यादि प्रत्येक दशा में शीर्ष प्राथमिकता के साथ पूर्ण करा ली जाये।
- (ख) सम्बन्धित परिषदीय/कारपोरेशन कार्मिक यदि विभाग के आवासीय भवन में रह रहा हो तो वह अपनी सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद विभागीय आवास को खाली कर दे एवं उसके समस्त देयकों का तत्काल कारपोरेशन को भुगतान कर दे।

अधिशाली निदेशक (मा0सं0)

पत्रांक :- — अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि / S-IV(C) / जे0ई0-06 / तददिनांक

प्रतिलिपि वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुभाग, उपाकालि, वि0क्रा0विजे0गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि सेवानिवृत्त होने वाले उपर्युक्त कार्मिकों के विरुद्ध लम्बित/आसन्न विभागीय कार्यवाही/जाँच इत्यादि यदि कोई हो तो यथा समय पूर्ण/निर्णीत कराये जाने का कष्ट करें, जिससे कि उनके सेवानैवृत्तक देयों की स्वीकृति में अनावश्यक विलम्ब न हो।

(सुमित सिंघल)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
एवं लिंक ऑफिसर

पत्रांक :- 5688 -अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि / S-IV(C) / जे0ई0-06 / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ ऑफिसर-1, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. अधिशाली निदेशक, उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. निजी सचिव, समस्त निदेशक, उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (वितरण), उपाकालि.....।
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि,।
6. समस्त महाप्रबन्धक(वित्त)/उपमहाप्रबन्धक(वित्त), उपाकालि,.....।
7. सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता, उपाकालि,।
8. अधिशाली अभियन्ता (सू0प्रौ0), उपाकालि, वि0क्रा0विजे0गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
9. सम्बन्धित कार्मिक/कार्या0 ज्ञाप पंजिका/कट फाइल/सम्बन्धित अनुभाग।

(सुमित सिंघल)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
एवं लिंक ऑफिसर